बिहार सरकार

कार्यालय अनुमंडल दंडाधिकारी, अरवल।

ई-मेल – sdo-arw-bih@nic.in Mobile no - 9473191479 दूरभाष - 06337-228656

पत्रांक–................../गो० दिनांक–................ 2020

आदेश

(द०प्र०सं० धारा–144 अंतर्गत)

गृह विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 40–3/2020 दिनांक 30.05.2020 एवं अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 366 दिनांक 30.06.2020 तथा जिला पदाधिकारी, अरवल के आदेश ज्ञापांक 806/ अरवल दिनांक 02.07.2020 के द्वारा भी दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.07.2020 तक अनलॉक फेज–2 की घोषणा की गयी है। **दिनांक 01.07.2020 से जिले में सभी गतिविधियाँ 06.00 बजे पूर्वाहन से 10.00 बजे अपराहन तक खुली रहेंगी एवं 10.00 बजे अपराहन से 05.00 बजे पूर्वाहन तक रात्री कर्फ्यू लागू रहेगा।** *(सभी उच्च पथ खुले रहेंगें तथा इस पर 06.00 बजे पूर्वाहन से 10.00 बजे अपराहन तक ही वाहनों का सामान्य आवागमन जारी रहेगा। एवं अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों का परिचालन सामान्यतया जारी रहेगी।)*

अतः अनलॉक फेज–2 की घोषणा के अवसर पर विधि व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु **मैं किरण सिंह (बि०प्र०से०) अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल द०प्र०सं० की धारा–144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरवल जिला अन्तर्गत सभी प्रखंडों एवं नगर परिषद् क्षेत्र, अरवल में रात्री कर्फ्यू के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करती हूँ । जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना, अस्त्र–शस्त्र लेकर चलना, जुलूस, आदि पर प्रतिबंध रहेगा एवं समय–10.00 बजे अपराहन से 05.00 बजे पूर्वाहन तक रात्री कर्फ्यू के दौरान सभी गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी।**

आज दिनांक 02.07.2020 को मेरे कार्यालय की मुहर एवं हस्ताक्षर से निर्गत किया गया ।

02/7/2020

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक 222/गो० अरवल, दिनांक 02 वीं जुलाई, 2020

प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी, अरवल को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपि:– पुलिस अधीक्षक, अरवल को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपि:– अपर समाहर्त्ता, अरवल को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:– उप विकास आयुक्त, अरवल –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, अरवल/जिला परिवहन पदाधिकारी,/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी,/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला नजारत उप समाहर्त्ता,/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी अंचल अधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी थानाध्यक्ष, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/7/2020

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
अरवल।